

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक-2049/11-सी- FP/UP/Pipeline/118863/2021, लखनऊ, दिनांक: दिसम्बर 16, 2022

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय:- जनपद मैनपुरी के अन्तर्गत शिकोहाबाद-भौगाँव (एस०एच०-84) भौगाँव से ईसन नदी पुल तक चैनेज 49.00 से 61.80 तक की दायी पटरी पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०, बरेली द्वारा भूमिगत गैस पाईप लाईन बिछाये जाने में प्रभावित होने वाली 0.704 हे० संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पालन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं० FP/UP/Pipeline/118863/2021

सन्दर्भ: उ०प्र० शासन की पत्र सं०-पी-97/81-2-2021-800(95)/2021, दिनांक 05.08.2021

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। वन संरक्षक, वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा ने अपने पत्रांक-2574/14-1 दिनांक 12.12.2022 द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी० एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड-हॉक कैम्पा में आनलाईन e-payment portal के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा किया गया है, जिसकी पुष्टि संलग्न है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर संलग्नक सहित दो प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या 2049/11-सी- FP/UP/Pipeline/118863/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।
- 2- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, मैनपुरी।
- 3- प्रबन्धक परियोजना, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०, बरेली।

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।